भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1806

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद में विसंगतियाँ

1806. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन खरीद मौसम के दौरान, न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचना के बावजूद उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की कितनी मात्रा की खरीद नहीं हो सकी और जिला-वार तथा फसल-वार इसके क्या कारण दर्ज किए गए;

(ख) राज्य में केंद्रीय बफर स्टॉक मानदंडों, भंडारण सीमा या अन्य राज्यों को खरीद के लिए पुनःनिर्देश देने के कारण कितनी बार एमएसपी खरीद में देरी हुई, कमी की गई या उसे रोका गया;

(ग) क्या आंतरिक समीक्षाओं में उत्तर प्रदेश में किसान भागीदारी, मूल्य प्राप्ति और बाजार के विश्वास पर ऐसे निर्णयों के प्रभाव की जांच की गई है;

(घ) अंतर-राज्यीय आवंटन और उठाव लक्ष्यों ने राज्य में एमएसपी कवरेज और खरीद की अवधि को किस सीमा तक प्रभावित किया है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में पूर्ण एमएसपी खरीद, एजेंसियों की समय पर तैनाती और फसल खरीद की परिहार्य अस्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, गेहूं और धान की खरीद राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है। केंद्र सरकार की एजेंसियों/राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण तथा परिवहन आदि जैसे अन्य लॉजिस्टिक/इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अलावा पर्याप्त संख्या में अस्थायी खरीद केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। किसानों द्वारा खरीद केन्द्रों को खरीद के लिए निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) विनिर्देशों के अनुरूप और पेश किए गए स्टाक की खरीद राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान, किसानों द्वारा खरीद केंद्रों पर लाए गए धान और गेहूं की कोई भी मात्रा खरीद से वंचित नहीं रही है।

(ख) और (ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(घ): जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

(ङ): खरीद शुरू होने से पहले, किसान पंजीकरण और सत्यापन, खरीद एजेंसियों का चयन, भुगतान के लिए निधियों की व्यवस्था और खरीद केन्द्रों का चयन जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं अग्रिम रूप से की जाती हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन सहित सभी खरीद संबंधी प्रक्रियाएं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं। खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खरीद की जाती है और पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक किसान एमएसपी का लाभ उठा सकें, खरीद का व्यापक प्रचार भी किया जाता है। राज्य भर में सरकारी खरीद केंद्रों पर किसानों द्वारा लाई गई फसलों की गुणवत्ता आधारित खरीद सुनिश्चित की जाती है।

*****